राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर

सी–ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 (राज.), फोन : 0141–2229737

क्रमांक : 2523 दिनांक : 11-12-2020

निदेशक,
जनसम्पर्क निदेशालय,
राज0 जयपुर।

विषयः– ई–निविदा सूचना – **63/2020–21** प्रकाशित कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निविदा नोट **(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत्)** की सात प्रतियॉ व विस्तृत निविदा **(DIPR की वैब साईट पर अपलोड करने बाबत्)** की दो प्रतियॉ संलग्न कर प्रकाशित कराने हेतु भिजवाई जा रही हैं। उक्त विज्ञापन को न्यूनतम स्पेस में एक बार राज्य सरकार के वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन नियमों अनुसार प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

प्रकाशन की सूचना एवं बिल तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर

क्रमांकः **दिनांकः–**

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
4. सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, टोंक/विद्युत को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथियों को निविदा अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. कन्सलटेंट आई.टी., एन. आर.. एच. एम. जयपुर को विभागिय वैब साईट पर लोड करने बाबत्।

अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर

UBN

1. NRH2021WSOB01619

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत्)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर

सी–ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 (राज.), फोन : 0141–2229737

क्रमांक : 2523 दिनांक : 11.12.2020

ई–निविदा सूचना संख्याः **63 / 2020–21**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर सें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अपग्रेडेशन सीएचसी अलीगढ़, पीएचसी करेडा बुजुर्ग एवं पीएचसी देवड़ावास, जिला टोंक के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.Org, www.sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर

UBN

1. NRH2021WSOB01619

(वैब साईट पर अपलोड करने बाबत्)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर

सी–ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 (राज.), फोन : 0141–2229737

क्रमांक : 2523   दिनांक : 11.12.2020

ई–टेन्डरिंग निविदा सूचना – 63 / 2020–21

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर निविदा मय तीन वर्ष का दोष निवारण (डिफेक्ट लाइबिलिटि) अवधि के साथ उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डरिग प्रकिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू.लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क (रू. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि
1	Construction work of Upgradation CHC Aligarh, PHC Kareda Bujurg & PHC Devdawas, Distt. Tonk. (Package-A)	625.00	625000.00	5000.00	12 माह

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराऐ।

(अ) भवन निर्माण कार्य हेतु।

किसी भी सीमा तक :	एए श्रेणी संवेदक
रूपये 300 लाख तक :	ए श्रेणी संवेदक
रूपये 150 लाख तक :	बी श्रेणी संवेदक
रूपये 50 लाख तक :	सी श्रेणी संवेदक
रूपये 15 लाख तक :	डी श्रेणी संवेदक

1. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रू. तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रू. **मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल.** की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो कि **अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के खाता सं. 14630100007667, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर–302004 में RTGS/NEFT/Any other Money Transfer System (IFSC Code BARB0JAICOM)** द्वारा देय होगी।
2. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। **निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के खाता सं. 14630100007667, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर–302004 में RTGS/NEFT/Any other Money Transfer System (IFSC Code BARB0JAICOM)** द्वारा देय होगी।
3. **निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा :–**
   - अ निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक **मंगलवार 22 दिसम्बर 2020 समय प्रातः 9:00 बजे से सोमवार 4 जनवरी 2021 सांय 6.00** बजे तक होगी।
   - ब निविदा शुल्क/धरोहर राशि/आर.आई.एस.एल. के देय शुल्कों की राशियां निविदा प्राप्ति की दिनांक तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं जमा के साक्ष्य (**Payment Transfer Advise/Receipt/Screenshot etc.**)/अन्य वांछित दस्तावेज बेब साईट **http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ही अपलोड किये जाने हैं। अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में कोई भी दस्तावेज जमा/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
   - स निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में बेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर **सोमवार 4 जनवरी 2021, सांय 6.00 बजे** तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलक्ट्रोनिक फॉरमेंट में बेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर **अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर** के कार्यालय में दिनांक **मंगलवार 5 जनवरी 2021 को प्रातः 11.00 बजे से ऑनलाईन ही खोली जायेगी।**
   - द निविदा प्रपत्र **अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय** में संवेदक द्वारा कार्यालय समय में **मंगलवार 22 दिसम्बर 2020 समय प्रातः 9:00 बजे से सोमवार 4 जनवरी 2021 सांय 6.00** बजे तक देखा जा सकता है अथवा बेवसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग, विभिन्नकार्यो कीमात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
4. **निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।**

5. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

6. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहा सेवाएं लेने से पहले अनुमति नही ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

7. निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क की राशि **अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के खाता सं. 14630100007667, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर–302004 में RTGS/NEFT/Any other Money Transfer System (IFSC Code BARB0JAICOM)** द्वारा जमा राशि जमा के साक्ष्य **(Payment Transfer Advise/Receipt/Screenshot etc.) बेबसाईट <u>http://www.eproc.rajasthan.gov.in</u> पर ही अपलोड किये जाने हैं। अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में कोई भी दस्तावेज जमा/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

8. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। अतः पी.डब्ल्यू.ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगीं।

9. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिये निर्धारित मशीनरी/शटरिंग जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।

10. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।

11. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् राज्य सरकार के नियमानुसार रहेगा।

12. **ई–टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश**

   अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रो को इन्टरनेट साइट "<u>http://www.eproc.rajasthan.gov.in</u>" से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।

   ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "<u>http://www.eproc.rajasthan.gov.in</u>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट – 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

   स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथप्रस्तुत करना होगा जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन केसाथ नहीं होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा

   द. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगीं।

   य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।

   र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसके लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

   ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रुप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

   व. <u>इलेक्ट्रोनिकली जमा निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय को ऑन लाईन ही खोली जायेंगी तत्पश्चात प्राप्त निविदाओं के आवश्यक वांछित दस्तावेजों एवं शुल्कों की प्राप्ति अनुसार ही निविदाओं का मूल्यांकन कर योग्य निविदाओं का निर्धारण किया जायेगा।</u>

13. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. की देय राशि, अधिशाषी अभियंता, खण्ड जयपुर के बैंक खाते में जमा के साक्ष्य की प्रति के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं Permanent (REG 06) जी.एस.टी. का प्रमाण पत्र की प्रतियां बेब साईट <u>http://www.eproc.rajasthan.gov.in</u> पर निर्धारित दिनांक तक अपलोड करना आवश्यक है। **अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में कोई भी दस्तावेज जमा/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

14. "Appropriate action as per RTPP Act / Rules shall be taken against the bidders who will not deposit the Bid security / Tender fee / RISL charges after uploading the bid on e-proc portal."

15. **समस्त निविदादाताओं द्वारा निविदादाता फर्म के लैटरहैड पर, कार्य के लिए जमा कराई गई बिड सिक्योरिटी राशि के रिफण्ड एवं अन्य भुगतानों हेतु संलग्न निर्धारित <u>प्रारूप–1</u> में विस्तृत बैंक विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।**

यदि किसी कारणवश निविदा खोलने वाले दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को, किसी कारण वश यदि सारी निविदाऐं नही खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाऐं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
पोस्ट क्वालिफिकेशन में रेसपोन्सिव निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई–मेल से दी जावेगी।
निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रकिया ऑन लाईन होगी।

अधिशाषी अभियन्ता
चि. एवं स्वा., खण्ड प्रथम, जयपुर

<u>UBN</u>

1. NRH2021WSOB01619